

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 09.10.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-10 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामकेवल पुत्र मुन्ना निषाद नि० ग्राम मल्लाहन पुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-318/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 09.10.2021**

**दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्तों—रामचन्द्र यादव, 02. रक्षाराम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी की बहन को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए मारा—पीटा था जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. रामचन्द्र यादव पुत्र रामदुलारे यादव नि० ग्राम नकहरा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. रक्षाराम यादव पुत्र रामदुलारे यादव नि० ग्राम नकहरा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—358/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी०पी०एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ०नि० कन्हैया दीक्षित मय टीम।

